छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 846/2007*</u>

1. **श्री राधेश्याम खाण्डे,** - *अपीलार्थी*
   अधिवक्ता,
   मुकाम-पोस्ट- जांजगीर
   जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

2. **श्री छोटेलाल कश्यप,**
   अधिवक्ता,
   मुकाम-पोस्ट- जांजगीर
   जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - ***प्रति अपीलार्थी***
   कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक,
   जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 07 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2007 को अपीलार्थीगण द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जांजगीर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और प्रथम अपील का भी निराकरण समयावधि में नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 01.09.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जानकारी प्रदाय करने में हुये विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 09.01.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में यह बताया गया कि अपीलार्थीगण से संबंधित अपराध की विवेचना के संबंध में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें यह पाया गया कि जांच सही नही की जाकर पक्षपातपूर्ण जांच की गई है, अतः

बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जांच की आवश्यकता समझी गई थी और दिनांक 08.03.2007 के आवेदन के बाद दिनांक 03.04.2007 एवं 17.07.2007 को जानकारी प्रदाय की जाकर पावती रजिस्टर में रखी गई है, किन्तु यह जानकारी केवल अंतरिम जानकारी दी है और जांच स्क्रूटनी में होने के कारण पूर्व में जानकारी नही दी गई थी । अतिरक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति दिनांक 29.11.2007 को प्रदाय कर दी गई थी तथा उनके द्वारा पावती भी संलग्न की गई है । प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा जो अपराध दर्ज किया गया है, उससे असंतुष्ट होकर बडा-चडाकर यह अपील प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में पूर्व में जांच अधूरी एवं अपूर्ण होने के कारण जांच प्रतिवेदन नही दिया गया है और बाद में जांच पूर्ण कर ली गई तो उसके बाद उनके द्वारा प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को उपलब्ध करा दी गई, जिसकी पावती भी उन्होंने आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है । आयोग के समक्ष यह बताया गया कि अपीलार्थीगण को एक प्रति निःशुल्क दी जा चुकी है, अतः दूसरी प्रति शुल्क लेकर देने को तैयार है, जो शुल्क लेकर एक सप्ताह में देने के निर्देश दिये गये थे । चूंकि कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद है, अतः उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । अपीलार्थीगण द्वारा मुआवजे की माँग भी बडा-चडाकर की गई है, जो दिलाया जाना उचित नही है, किन्तु प्रकरण में जो थोड़ा विलंब जानकारी देने में हुआ है, उसके लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग की ओर से दोनो अपीलार्थीगण को राशि 400/- रूपये प्रत्येक की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त